भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
कायालय महाप्रबधक
शासकोय अफीम एव क्षरोद कारखना
गााजीपुर (उ0प्र0)–233001

फा0 सं0 2/7/भवन/2014 **दिनांक 01.06.2018**

प्रति

नोटिस बोर्ड/खजाना अनुभाग

विषयः– सुरक्षा परिसर के भीतर साफ–सफाई के सम्बन्ध में ।

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्यो / सेवाओं हेतु इस प्रतिष्ठान में पंजीकृत फर्मो से बन्द लिफाफे में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जो दिनाक 26.06.2018. तक ....4.00.......... बजे तक दिया जा सकता है।
केवल जी0 एस0 टी0 एन0 पोर्टल पर जी0 एस0 टी0 में रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने के पात्र होगें।,
उप6रोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएगें। कोटेशन दिनांक 26.06.2018 को ...4.30 बजे खोली जायेगी ।

क0सं	कार्य का नाम व विवरण –	मात्रा/संख्या
		इकाई के साथ
1	2	3
1	सुरक्षा फाटक के अन्दर नालियों एवं पूरे परिक्षेत्र को नियमित रूप से साफ–सफाई करना, नालियों से निकले हुए मलवा, पत्ती आदि सी.आई.एस.एफ. के देख–रेख में कारखानें से बाहर फेंकना, आवश्यकता होने पर नालियो के लोहे (चेकर्ड प्लेट) पत्थर के कवर को हटाना व पुनः उसी स्थिति में ढकना आदि । इस कार्य में लगने वाली सामग्री जैसे, सीमेन्ट, बालू, लोहे की प्लेट कारखाना द्वारा दिया जायेगा ।	
	<u>नालियों एवं अन्य कार्यो का विवरणः–(नालियों की अनुमानित साइज एवं लम्बाई के साथ)</u>	
1	भ0से0 13 के चारो तरफ, भ0सं0 13 से भ0सं0 20 तक एवं 20 के तीन तरफ तथा भ0 सं0 20 से भ0सं0 11,12 होते हुए भ0सं0 10 तक । चौड़ाई x गहराई (औसत) 45 सेमी0 X 60 सेमी0, लगभग 400 मी0 लम्बाई	
2	भ0सं0 8 के अन्दर (60 मी0 लम्बी एवं औसत – गहराई व चौड़ाई 45 x 60 सेमी0) भ0सं0 8 से भ0सं0 5 (Abkari Section) होते हुए E.T.P. तक । लम्बाई लगभग 150 मीटर चौड़ाई x गहराई (औसत) 60 सेमी0 x 50 सेमी0 इसके अतिरिक्त अन्य छोटी नालियॉ ।	
3	M.C.D. (भ0सं0 4) से लेकर आबकारी यार्ड के दक्षिण बाहर तरफ होते हुए केन्द्रीय विद्यालय के पास पक्की सड़क एवं नगर पालिका के नाला तक के अलावा आवश्यकतानुसार संयन्त्र के अन्दर छोटी–मोटी नालियों की सफाई । चौड़ाई x गहराई (औसत) 20 सेमी0 x 40 समी0, लम्बाई लगभग 200 मी0	
4	कारखाना परिसर के अन्दर मरे हुए बन्दर, कुत्ते इत्यादि को परिसर से बाहर फेकना ।	
5	सुरक्षा द्वार के अन्दर पूरे परिक्षेत्र में साफ–सफाई के लिए घास–फूस, झाड़िया एवं अनावश्यक रूप से उगे हुए पेड़–पौधो को निरंतर काट कर साफ–सुथरा रखना । कूड़े एवं मलवे को प्रत्येक सप्ताह में कारखाने से बाहर ले जाकर बताये गये स्थान पर फेंकना ।	
6	सुरक्षा द्वार के अन्दर पूरे परिक्षेत्र में साफ–सफाई के लिए भवनों के बाहर प्रत्येक दिन झाडू लगाना एवं कूड़े को प्रतिष्ठान से बाहर फेकना ।	
7	सुरक्षा फाटक के अन्दर रखे गये कूड़े दान, पिकदान को नियमित रूप से सफाई करना एवं आवश्यकतानुसार समस्त नालियों एवं पिकदान में चूना, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करना ।	
8	भ0 सं0 20 एवं 13 से निकलकर भूमिगत पाईपों के माध्यम से प्रदूषित जल शुद्धिकरण संयंत्र को जाने वाली नाली, हौदों को प्रत्येक सप्ताह में साफ करना जिससे प्रदूषित जल ई0 टी0 प्लाण्ट को सुचारू रूप से जाता रहे तथा हौदे से निकलने वाले स्लज को कारखाना परिसर से बाहर फेकना तथा सभी प्रक्रम भवनों में कभी भी लगे हुए/पानी जमा होने की स्थिति में तत्काल साफ करना ।	
9	पुराने भ0 सं0 10, 25 जो गिराये जा चुके हैं उसके चारों तरफ एवं सुरक्षा दीवार तक सभी झाड़ियों एवं जंगली घास को निरंतर काटना एवं निकले हुए समस्त मलवे को परिसर से बाहर फेंकना ।	एक कार्य
	कुल जोड़	**एक कार्य**

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य को एक कार्य मानते हुए दर, प्रति माह की दर से स्वीकार किया जायेगा जिसकी वैधता एक वर्ष होगी । आवश्यकता पड़ने पर फर्म को सूचित करने के उपरान्त अवधि बढ़ाया जा सकता है जिसकी अधिकतम सीमा तीन माह होगी ।

हमारी शर्तेः–

1 बिल,भुगतान हेतु तिमाही प्रस्तुत की जायेगी ।
2 आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोनिक संदेश पर कार्य अधिक से अधिक 24 घण्टे के अन्दर करना होगा ।
3 समय से कार्य पूरा न होने पर रू0 200/– प्रति दिन बिल से कटौती होगी ।
4 कार्य कारखाना अभियन्ता/सहायक कार्य अभियन्ता के देख–रेख व निर्देशानुसार पूरा करना होगा ।
5 यदि फर्म संतोषजनक कार्य नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में कारखाने द्वारा किसी अन्य फर्म से विशेष पिरिस्थितियों में कार्य पूरा कराकर उसकी लागत फर्म के बीजक से कटौती की जा सकती है ।

अन्य शर्ते–

(i) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी "कोटेशन प्रोफार्मा" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दर के साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कालम नं0 6) एवं अन्त में सम्पूर्ण कार्य की कुल कीमत को अंको एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में किसी तरह की ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
(ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।
(iii उपरोक्त कार्य को कार्य आदेश प्राप्ति की तिथि से निरंतर पूर्ण सफाई के साथ करना होगा अथवा कार्य संतोषजनक न करने पर शर्तो के अनुसार दंड देय होगा। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
(iv **अपंजीकृत फर्म द्वारा कोटेशन के साथ रू0 5000 का एफडीआर/सी0 डी0 आर के रूप मे अग्रिम धनराशि प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम टेन्डर प्रति के साथ जमा करना होगा।** उपरोक्त जमा राशि को कार्य के संतोषजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर वापस कर दिये जाएगें। एफडीआर/सीडीआर, टेन्डर के साथ न होने के स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
(v) फर्मो द्वारा दिये गये दर की वैधता खोले जाने के तिथि/दिन से 90 (नब्बे) दिनों की होगी।
(vi यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गए समय सीमा में कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा इस संबंध में ज्यादा समय अवधि की मांग की जाती है उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।

PTO

(vi दर दाता /निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्ते मान्य नहीं होगा।
(vi महाप्रबंधक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।
(ix दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम एव अ–परक्राम्य (नान–निगोसियेबुल) होगा तथा दर आदि को कम करने हेतु किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा न ही दर परिवर्तन हेतु किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।
(x) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम एव अ–परक्राम्य (नान–निगोसियेबुल) होगा तथा दर आदि को कम करने हेतु किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा न ही दर परिवर्तन हेतु किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।
(xi कोटेशन के साथ पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
संलग्नक :– कोटेशन प्रोफार्मा

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,

महाप्रबंधक

शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखना

गााजीपुर

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा0 सं0 ......2/7/भवन/2014.. दिनांक 01.06.2018 के संदर्भ में मेरा दर निम्नवत है।

(अ) दर तथा आइटम वार विवरण

क्र	विषयः– सुरक्षा परिसर के भीतर साफ–सफाई के सम्बन्ध में ।	मात्रा/संख्या इकाई के साथ	दर /यूनिट	र, यदि कोई देय हो	कुल कीमत
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुरक्षा फाटक के अन्दर नालियों एवं पूरे परिक्षेत्र को नियमित रूप से साफ–सफाई करना, नालियों से निकले हुए मलवा, पत्ती आदि सी.आई.एस.एफ. के देख–रेख में कारखानें से बाहर फेंकना, आवश्यकता होने पर नालियो के लोहे (चेकर्ड प्लेट) पत्थर के कवर को हटाना व पुनः उसी स्थिति में ढकना आदि । इस कार्य में लगने वाली सामग्री जैसे, सीमेन्ट, बालू, लोहे की प्लेट कारखाना द्वारा दिया जायेगा ।				
	<u>नालियों एवं अन्य कार्यो का विवरणः–(नालियों की अनुमानित साइज एवं लम्बाई के साथ)</u>				
1	भ0सं0 13 के चारो तरफ, भ0सं0 13 से भ0सं0 20 तक एवं 20 के तीन तरफ तथा भ0 सं0 20 से भ0सं0 11,12 होते हुए भ0सं0 10 तक । चौड़ाई x गहराई (औसत) 45 सेमी0 X 60 सेमी0, लगभग 400 मी0 लम्बाई				
2	भ0सं0 8 के अन्दर (60 मी0 लम्बी एवं औसत – गहराई व चौड़ाई 45 x 60 सेमी0) भ0सं0 8 से भ0सं0 5 (Abkari Section) होते हुए E.T.P. तक । लम्बाई लगभग 150 मीटर चौड़ाई x गहराई (औसत) 60 सेमी0 x 50 सेमी0 इसके अतिरिक्त अन्य छोटी नालियॉ ।				
3	M.C.D. (भ0सं0 4) से लेकर आबकारी यार्ड के दक्षिण बाहर तरफ होते हुए केन्द्रीय विद्यालय के पास पक्की सड़क एवं नगर पालिका के नाला तक के अलावा आवश्यकतानुसार संयन्त्र के अन्दर छोटी–मोटी नालियों की सफाई । चौड़ाई x गहराई (औसत) 20 सेमी0 x 40 समी0, लम्बाई लगभग 200 मी0				
4	कारखाना परिसर के अन्दर मरे हुए बन्दर, कुत्ते इत्यादि को परिसर से बाहर फेकना ।				
5	सुरक्षा द्वार के अन्दर पूरे परिक्षेत्र में साफ–सफाई के लिए घास–फूस, झाड़िया एवं अनावश्यक रूप से उगे हुए पेड़–पौधो को निरंतर काट कर साफ–सुथरा रखना । कूड़े एवं मलवे को प्रत्येक सप्ताह में कारखाने से बाहर ले जाकर बताये गये स्थान पर फेंकना ।				
6	सुरक्षा द्वार के अन्दर पूरे परिक्षेत्र में साफ–सफाई के लिए भवनों के बाहर प्रत्येक दिन झाडू लगाना एवं कूड़े को प्रतिष्ठान से बाहर फेकना ।				
7	सुरक्षा फाटक के अन्दर रखे गये कूड़े दान, पिकदान को नियमित रूप से सफाई करना एवं आवश्यकतानुसार समस्त नालियों एवं पिकदान में चूना, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करना ।				
8	भ0 सं0 20 एवं 13 से निकलकर भूमिगत पाईपों के माध्यम से प्रदूषित जल शुद्धिकरण संयंत्र को जाने वाली नाली, हौदों को प्रत्येक सप्ताह में साफ करना जिससे प्रदूषित जल ई0 टी0 प्लाण्ट को सुचारू रूप से जाता रहे तथा हौदे से निकलने वाले स्लज को कारखाना परिसर से बाहर फेकना तथा सभी प्रक्रम भवनों में कभी भी लगे हुए/पानी जमा होने की स्थिति में तत्काल साफ करना ।				
9	पुराने भ0 सं0 10, 25 जो गिराये जा चुके हैं उसके चारों तरफ एवं सुरक्षा दीवार तक सभी झाड़ियों एवं जंगली घास को निरंतर काटना एवं निकले हुए समस्त मलवे को परिसर से बाहर फेंकना ।				
	कुल जोड़ – एक कार्य	एक कार्य			

महा योग शब्दों में (रू...मात्र.)

(ब) नियम व शर्ते

(i) मै उपरोक्त कार्य को, कार्य आदेश में दी गई समय सीमा के अंदर पूर्ण करूगा। देरी से (निर्धरित या बढी हुई समय सीमा के बाद) कार्य करने पर कार्य आदेश में दिये गए नियमो व शर्तो के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।

(ii) अपंजीकृत फर्म होने के कारण रू0 मात्र का एफडीआर/सीडीआर .... दिनांक .... रू0 ....
जो कि प्रबंधक, अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के पक्ष में देय है, टेन्डर प्रति के साथ जमा कर रहा हूं। मुझेें उपरोक्त सी0 डी0 आर0, कार्य के संताषजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर वापस किया जाए। (लागू होने पर)

(iii) मेरे द्वारा दिये गये दर की वैधता निविदा खोले जाने के तिथि/दिन से 90 (नब्बे) दिनों की होगी ।

(iv) मेरे द्वारा कार्य मे अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश, कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

(v) मेरे द्वारा अन्य कोई शर्ते नही दी जा रही है।

(क) भवदीय

स्थान :–

दिनांक :– (हस्ताक्षर)

(फर्म की सील)

(फर्म का पूरा नाम व पता)

PTO

(i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क्रम संख्या 1 से 6 तक का सभी निविष्टियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।
(ii) मेरे द्वारा निविदा, बीजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी अगर भ्निता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होउगा।
(iii मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महा योग शब्दों में अंकित किया गया है।

स्थान :–
दिनांक :– (ख) (हस्ताक्षर)

(फर्म की सील)
(फर्म का पूरा नाम व पता)

धोषणा

मैं श्री .... निविदा सं0 .... दिनांक...............
सभी नियमों को भलीभॉति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूं। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितायें होंगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गयी है।

स्थान :–
दिनांक :– (ग)

(हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
(फर्म का पूरा नाम व पता)